रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15—मार्च 21, 2008 (फाल्गुन 25, 1929)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15—MARCH 21, 2008 (PHALGUNA 25, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 18 फरवरी 2008

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण में जनवरी 2008 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी है और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है:--

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
		-नहीं-			

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NEW DELHI

F 1-19/2005/CPP-II , March, 2008

UGC (MINIMUM STANDARDS OF INSTRUCTION FOR THE GRANT OF THE MASTER'S DEGREE THROUGH FORMAL EDUCATION) REGULATIONS, (FIRST AMENDMENT), 2007

In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 26 of the UGC Act 1956 (No. 3 of 1956), the University Grants Commission makes the following amendment Regulations, namely:

1. **Short title, application and commencement:**

1.1 These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the Master's Degree through Formal Education) Regulations (First Amendment), 2007.

1.2 These shall apply to all universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State/Union Territory Act, and all institutions recognized by or affiliated to such Universities and all institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act 1956.

1.3 These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1st Amendment

The following clause 4.5 shall be added under Section 4 of the UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the Master's Degree through Formal Education) Regulations, 2003:-

"4.5 *Every university shall ensure that the classes for courses in subjects other than professional courses for the first year students shall commence by not later than the first week of August and for the students of second year onwards, by not later than the third week of July. The results for all the courses shall be declared by not later than last week of June.*

A flexibility of upto two weeks may be allowed for professional courses in commencement of classes for students of 2nd year and later keeping in view the requirement of project work, summer schools and internship, etc. in professional courses."

DR. T R. KEM
Secy.

(257)

फा. 1-19/2005 (सी.पी.पी.-II)
अप्रैल 2007

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक उपाधि (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी न्यूनतम मानक) विनियम (प्रथम संशोधन), 2007

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एफ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है। ये हैं :-

संक्षिप्त नाम प्रयोग और प्रारंभ

1.1 **ये विनियम विश्वविद्यालय** अनुदान आयोग (औपचारिक **शिक्षा के माध्यम से परास्नातक** (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी **निर्देशों के** न्यूनतम **मानक)** विनियम, (प्रथम संशोधन), **2007 कहलायेंगे।**

1.2 **ये** विनियम उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना अथवा समावेश (विनियम) किसी केन्द्रीय कानून, किसी प्रांतीय कानून या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के कानून के तहत की गई हो और ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या उनसे सम्बद्ध सभी संस्थानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समकक्ष विश्वविद्यालय माने गए संस्थानों पर भी लागू होंगे।

1.3 ये विनियम अपने सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएँगे।

प्रथम संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी न्यूनतम मानक) विनियम 2003 के धारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित धारा 4.5 जोड़ी जाएगी।

4.5 प्रत्येक विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों की कक्षाएँ अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक शुरू कर दी जाएँगी और दूसरे और उसके बाद के वर्षों के छात्रों के लिए कक्षाएँ जुलाई के तीसरे सप्ताह तक शुरू हो जानी चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों के परिणाम जून के अंतिम सप्ताह तक घोषित हो जाएँगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परियोजना कार्य, ग्रीष्मकालीन विद्यालयों और प्रशिक्षु काल की आवश्यकताओं को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों के लिए द्वितीय और उसके बाद के वर्षों के कक्षाओं को शुरु करने के कार्यक्रम की समय-सीमा में दो सप्ताह तक की छूट दी जा सकती है।

डॉ. तिलक राज के
सचिव

सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2007 (चैत्र 24, 1929)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14—APRIL 20, 2007 (CHAITRA 24, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक 23 मार्च 2007

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, फरवरी 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

नई दिल्ली सर्कल 10% राहत पत्र 1993

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
डी एच 000432	रु. 40,000/-	किशन सिंह	--	श्रीमती जगदीप साहनी और सुरिन्दरजीत सिंह	पीडीओ/डी.टि./एल.एन, 1/2002 दिनांक 05.02.2007

सूची "ख"

-कुछ नहीं-

जे. एम. भावा

21

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NEW DELHI

F1-19/2005(CPP-II)
April 2007

UGC (MINIMUM STANDARDS OF INSTRUCTION FOR THE GRANT OF THE FIRST DEGREE THROUGH FORMAL EDUCATION) REGULATIONS, (FIRST AMENDMENT), 2007

In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 26 of the UGC Act, 1956 (No. 3 of 1956) the University Grants Commission makes the following amendment Regulations, namely :

1. Short title, application and commencement :

1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the First Degree through Formal Education) Regulations (First Amendment), 2007.

1.2. These shall apply to all universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State/Union Territory Act, and all institutions recognized by or affiliated to such Universities and all institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

1.3. These shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

1st Amendment

The following clause 4.5 shall be added under Section 4 of the UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the First Degree through Fonnal Education) Regulations, 2003 :—

"4.5 Every university shall ensure that the classes for courses in subjects other than professional courses for the first year students shall commence by not later than the first week of August and for the students of second year onwards, by not later than the third week of July. The results for all the courses shall be declared by not later than last week of June.

A flexibility of upto two weeks may be allowed for professional courses in commencement of classes for students of 2nd year and later keeping in view the requirement of project work, summer schools and internship, etc. in professional courses."

[illegible]

Dr. T. R. KEM
Secy.

2/63

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फा. 1-19/2005 (सी.पी.पी.-II) अप्रैल 2007

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक उपाधि (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी न्यूनतम मानक) विनियम (प्रथम संशोधन), 2007

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एफ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है। ये हैं :—

संक्षिप्त नाम प्रयोग और प्रारंभ

1.1 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी निर्देशों के न्यूनतम मानक) विनियम, (प्रथम संशोधन), 2007 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना अथवा समावेश (विनियम) किसी केन्द्रीय कानून, किसी प्रांतीय कानून या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के कानून के तहत की गई हो और ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या उनसे सम्बद्ध सभी संस्थानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समकक्ष विश्वविद्यालय माने गए संस्थानों पर भी लागू होंगे।

1.3 ये विनियम अपने सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे।

प्रथम संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी न्यूनतम मानक) विनियम 2003 के धारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित धारा 4.5 जोड़ी जाएगी।

4.5 प्रत्येक विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य विषयों के पाठ्क्रमों की कक्षाएँ अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक शुरू कर दी जाएँगी और दूसरे और उसके बाद के वर्षों के छात्रों के लिए कक्षाएँ जुलाई के तीसरे सप्ताह तक शुरू हो जानी चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों के परिणाम जून के अंतिम सप्ताह तक घोषित हो जाएँगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परियोजना कार्य, ग्रीष्मकालीन विद्यालयों और प्रशिक्षु काल की आवश्यकताओं को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों के लिए द्वितीय और उसके बाद के वर्षों के कक्षाओं को शुरु करने के कार्यक्रम की समय-सीमा में दो सप्ताह तक की छूट दी जा सकती है।

डॉ. तिलक राज केम
सचिव

6